

अप्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता
आपराधिक अपील संख्या 1211 वर्ष 2014

मुनव्वर

....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति, संजीव खन्ना

1. वर्तमान अपील में इकलौता अपीलार्थी मुनव्वर ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप में 'भादंसं') की धारा 302 और 365 सपठित धारा 34 के तहत एक सात वर्षीय बच्चे 'X' की हत्या और अपहरण और धारा 201

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

सपठित भादंसं की धारा 34 के तहत अपराध के साक्ष्य मिटाने के लिए अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। अपीलार्थी को क्रमशः आजीवन कारावास, 7 वर्ष और 3 वर्ष का सश्रम कारावास दिया गया है जो यथा निर्दिष्ट साथ साथ चलेंगे (जुमाने के लिए अलग से कोई दंड नहीं है लेकिन वर्तमान अपील और निर्णय में हम इस आयाम का परीक्षण और उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

2. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 'अंतिम बार देखा गया ' का सिद्धांत गलत तरीके से लगाया गया है क्योंकि यदि न्यायालय मोहम्मद सईद (PW-2) अशरफ (PW-3) , सईद अहमद (PW-5) और मुस्ताक (PW-7) के कथन को मान भी लें तो 'X' अंतिम बार अपीलार्थी के साथ-साथ अपीलार्थी के भाइयों नूर मोहम्मद, ताहिर (मृतक) और एक तीसरे व्यक्ति शमीम के साथ लड्डावाला , मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में 01 अप्रैल 1988 को देखा गया था जबकि फिरौती के दो पत्र कथित रूप से मोहम्मद खुर्शीद 'X' के पिता को 03 अप्रैल 1988 और 07 अप्रैल 1988 को मिले और तत्पश्चात 'X' का लाश एक अन्य स्थान से 18 अप्रैल 1988 को खोदकर निकाला गया। **जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य ¹ और गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान एवं अन्य ²** का संदर्भ दिया गया है अपीलार्थी ने यह भी कहा है कि प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने में विलंब हुआ है, जो कि यह कहा गया है, कि थाना कोतवाली मुजफ्फरनगर में 07 अप्रैल 1988 को लगभग 9:40 p.m. दर्ज की गई थी ।

3. हमने तर्कों पर विचार किया है लेकिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 19 अगस्त 1992 दिनांकित निर्णय और 08 मार्च 2013 दिनांकित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय द्वारा अंकित दोषसिद्धि के अनुवर्ती निष्कर्ष से असहमत होने और उसे रद्द करने का सही आधार और तर्क नहीं मिलता ।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

4. सहअभियुक्त और दोषी नूर मोहम्मद और शमीम ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं किया है और ताहिर यथा दृष्टव्य मर चुका है। अतः हम मुनव्वर द्वारा की गयी अपील का ही परीक्षण एवं निर्णयन कर रहे हैं।

5. यह तथ्य कि मो. खुर्शीद जो PW-1 के रूप में प्रस्तुत हुआ है, के पुत्र 'X' का 01 अप्रैल 1988 को अपहरण हो गया और उसका लाश 18 अप्रैल 1988 को नूर मोहम्मद द्वारा किए गये खुलासा बयान के आधार पर खोदकर निकाला गया, बहस और संदेह से परे स्थापित किया जा चुका है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थी मुनव्वर, नूर मोहम्मद, ताहिर (मृतक) भाई हैं। मो. खुर्शीद (PW-1) ने स्पष्ट बयान दिया था कि उसका सात वर्षीय पुत्र 'X' जो अपनी मां के कहने पर पड़ोस की दुकान से 01 अप्रैल 1988 को लगभग 4 p.m. दाल खरीदने गया था, नहीं लौटा और उसका पता नहीं चला। PW-1 जो तहसील में काम करता था, घर लौटने पर 'X' को बहुत ढूढ़ा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पड़ोस में पूछने पर PW-1 को पता चला कि 'X' को अन्तिम बार नूर मोहम्मद के साथ अशरफ की दुकान पर देखा गया था, जैसा कि उसे अशरफ ने बताया जिसने PW-3 के रूप में बयान दिया है और तथ्यों की पुष्टि की है। मो. खुर्शीद (PW-1) ने मो. सईद (PW-2) से भी बात की जो अशरफ (PW-3) की दुकान से कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था और 'X' को अपीलार्थी - मुनव्वर, नूर मोहम्मद, ताहिर (मृत) और शमीम जो 'X' को पैदल सुल्तान इन्डस्ट्रीज की ओर ले गया था, के साथ देखा था। इस बात की मो. सईद (PW-2) द्वारा पुष्टि की गई है जिसने 'X' को नूर मोहम्मद की गोद में दुकान से बाहर सड़क की ओर जाते देखा था जहां अपीलार्थी - मुनव्वर, ताहिर (मृत) और शमीम मौजूद थे। मो. सईद (PW-2) ने इस बात की भी पुष्टि की है कि आरोपी 'X' के मामा (maternal uncle) थे और वे प्रतिदिन 'X' को टहलाने ले जाते थे और उसे खाने की चीजे खरीदते थे। इसलिए PW-2 के पास संदेह करने का कोई कारण नहीं था और उसने टोंकना उचित नहीं समझा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

PW-2 ने PW-1 से शाम को हुई बातचीत की पुष्टि की है जब PW-1 ने अपने बेटे के बारे में पूछताछ की।

6. हमारे पास मुस्ताक (PW-7) की गवाही है जिसने बयान दिया है कि वह मो. खुर्शीद जो (PW-1) के पुत्र 'X' को जानता था जो उसी मोहल्ले में रहते थे। 01 अप्रैल 1988 को PW-7 लगभग 5 p.m. बजे देवबंद से बस द्वारा लौटा था। लड्डावाला की ओर जाते हुए PW-7 ने 'X' को अपीलार्थी मुनव्वर, नूर मोहम्मद, ताहिर (मृत) और शमीम के साथ देखा था जो उसे पहाड़ी की ओर ले जा रहे थे। उसने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि वह जानता था कि वे लोग 'X' के रिश्तेदार थे और सोचा कि वे लोग संभवतः उसे टहलाने ले जा रहे हैं।

7. मो. खुर्शीद (PW-1) ने बयान दिया है कि 03 अप्रैल 1988 को उसे 'X' की सुरक्षित वापसी के लिए 21,000/- रु. का फिरौती पत्र (Ext. 1) मिला। पैसा रेलवे पुल पर दिया जाना था। इस पर PW-1 अपीलार्थी मुनव्वर और उसके भाइयों के घर गया और ताहिर (मृत) से मिला और उसे फिरौती पत्र के बारे में बताया और उससे अपने बेटे के बारे में पूछा। ताहिर (मृत) ने इस पर PW-1 से पैसे की व्यवस्था करने और पैसे देने के लिए 2-3 दिन का समय मांगने के लिए चिट्ठी लिखने को कहा। उस समय कल्लू समेत कई अन्य व्यक्ति PW-1 के साथ मौजूद थे। ताहिर (मृत) के कहने पर PW-1 ने पैसे देने के लिए 2-3 दिन का समय मांगने के लिए चिट्ठी लिखकर ताहिर (मृत) को दे दिया। उपरोक्त तथ्य को प्रमाणित किया गया है और सईद अहमद (PW-5) द्वारा पुष्टि की गई है जो PW-1 के साथ उस समय मौजूद था जब उसने ताहिर (मृत) से 'X' और फिरौती चिट्ठी के बारे में बात किया और पैसे देने के लिए समय बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखा। 05 अप्रैल 1988 को ताहिर (मृत) ने PW-1 को बताया कि चिट्ठी उन लोगों तक पहुंच गई है और उन्होंने PW-1 को पैसे की व्यवस्था करने के लिए समय दिया है।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

8. मो. खुर्शीद (PW-1) ने 22,000/- रु. की रकम के लिए दूसरे फिरौती चिट्ठी के बारे में भी गवाही दी है जो कि शमीम, अभियुक्तों में से एक, द्वारा उसके घर में फेंकी गयी थी। यह ऐसा कृत्य था जो इस्लाम (PW-4) और सईद अहमद (PW-5) द्वारा देखा गया था जिन्होंने शमीम धर दबोचने की कोशिश भी की लेकिन असफल रहे क्योंकि शमीम भाग निकला। इस्लाम (PW-4) ने यह भी गवाही दी है कि 'X' गायब था और यह बात सारे पड़ोस को पता थी।

9. दूसरी फिरौती चिट्ठी मिलने पर मो. खुर्शीद (PW-1) ने प्रदर्श KA-1 के जरिए पुलिस रिपोर्ट/शिकायत दर्ज करा दी। PW-1 ने बयान दिया है कि लिखवाई गई रिपोर्ट देने पर, पुलिस रिपोर्ट बनाई गयी और उसे पढ़ कर सुनाई गई और उसकी विषयवस्तु समझकर उसने अपना हस्ताक्षर किया। एफआईआर दायर करने में हुए विलम्ब पर स्पष्टीकरण देते हुए PW-1 ने बताया कि वह पैसे की व्यवस्था कर रहा था और 'X' के जीवन को खतरा होने के कारण उसने शुरुआत में पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई। आगे, एक अभियुक्त शमीम द्वारा दूसरी फिरौती चिट्ठी फेंके जाने तक PW-1 अपीलार्थी और उसके भाइयों की सहभागिता और संलिप्तता तथा इस बात को लेकर कि ताहिर (मृत) उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है या नहीं, अनिश्चित था। PW-1 ने शमीम के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बताया। खलील जो उसकी पत्नी का चाचा था, अभियुक्त शमीम का साला था। यह PW-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभिकथित एक तथ्य है जिसका खण्डन नहीं किया गया।

10. नूर मोहम्मद की 18 अप्रैल 1988 को गिरफ्तारी के बाद उसके खुलासा बयान के आधार पर 'X' का लाश बरामदगी का साक्ष्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसके बाद नूर मोहम्मद पुलिस, PW-1 व अन्य को बाझेरी जंगल और इरसाद

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

⑥ यासीन के ट्यूब बेल पर ले गया और वह स्थान दिखाया जहां 'X' की लाश, उसके कपड़े और वह चाकू जिससे वह मारा गया था, एक गड्ढे में गाड़ दी गयी थी। उसके बाद जमीन खोदकर 'X' की लाश निकाली गयी और उसके कपड़े और चाकू प्रदर्श KA-2 के जरिए बरामद किया गया। PW-1 ने अपने बेटे 'X' की उसके चेहरे से पहचाना की। नूर मोहम्मद की निशानदेही पर 'X' की लाश की बरामदगी एक ऐसा तथ्य है जिसकी पुष्टि मुस्ताक (PW-7) पुलिस उप-निरीक्षक राज किशोर सिंह (PW-11) द्वारा की गई है।

1 1. वर्तमान मामला कड़े अर्थों में मात्र 'अखिरी बार देखे जाने' का मामला नहीं है। 'X' को 01 अप्रैल 1988 को 4.00 p.m. पर अशरफ (PW-3) की दुकान के पास उस समय अपहृत किया गया जब वह वर्तमान अपीलार्थी नूर मोहम्मद, ताहिर (मृत) और शमीम की अभिरक्षा में देखा गया था। 'X' सात साल का बच्चा था, जो अपीलार्थी मुनव्वर और उसके भाइयों नूर मोहम्मद और ताहिर (मृत) के करीब था और उनसे घुला-मिला था और शमीम को भी जानता था जो पड़ोस में रहता था। यह तथ्य, कि 'X' का 01 अप्रैल 1988 को 4.00 – 4.30 p.m. बजे अपहरण हुआ, संदेह से परे सिद्ध किया गया है। अपहरणकर्ताओं की पहचान जिसमें अपीलार्थी भी शामिल है, भी सिद्ध की गयी है। 'अन्तिम बार देखे गये' के सिद्धान्त से संबंधित दो निर्णयों **जसवंत गिर बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त)** और **गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान एवं अन्य (उपरोक्त)** का अवलंब अपीलार्थी के तर्क का समर्थन नहीं करेगा क्योंकि वर्तमान मामले में जैसा ऊपर बताया गया है, मौखिक बयानों के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य है जो यह साबित करता है कि वर्तमान अपीलार्थी और अन्य ने अपहरण किया था और बंदी में रखा था। आगे, 'X' की गुमशुदगी और अपहरण में कोई समय अन्तराल नहीं है, वे साथ साथ हुए। शमीम, जिसने दूसरी फिरौती चिट्ठी फेंकी थी, के आचरण सहित अनुवर्ती साक्ष्य और नूर मोहम्मद जिसने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

खुलासा बयान दिया था जिससे लाश बरामद हुई, अभियोजन के मामले की ओर इशारा और साबित करते हैं।

12. अतः हमें वर्तमान अपील में कोई मेरिट नहीं मिलती और हम अपर सत्र न्यायाधीश के अपीलार्थी मुनव्वर को भा. दं.सं. की धारा 302, 365 और 201 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्धि के निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार करने के निर्णय की अभिपुष्टि करते हैं। अपील मेरिट से रहित है और निरस्त की जाती है।

... ..

न्यायमूर्ति, इंदिरा बनर्जी

... ..

न्यायमूर्ति, संजीव खन्ना

नई दिल्ली

जुलाई 16, 2019

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”